


आवेदन संख्या - २०२२००९४१०१०९६३



न्यास-पत्र

मैं अशोक कुमार खरवार पुत्र स्वर्ग सन्नू खरवार निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर का निवासी हूँ हाल मुकाम— मोहल्ला सरायकाजी कादन उर्फ मियांपुर, पोस्ट कचहरी, तहसील सदर, जिला जौनपुर—222002 मैं एक द्रस्ट का निर्माण करने का घोषणा करता हूँ। जो निम्नवत् है—

1. द्रस्ट (न्यास) का नाम:—
फॉरेंटर फांडेशन चैरिटेबल द्रस्ट
2. द्रस्ट (न्यास) का स्थायी पता:—
ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर – 223104 (उ०प्र०) द्रस्ट की कार्यकारिणी बहुमत के निर्णय से अन्यंत्र इसकी शाखाएं भी खोल सकेंगी।
3. द्रस्ट (न्यास) का कार्य क्षेत्र:—
सम्पूर्ण भारत।
4. द्रस्ट निर्माता (न्यासकर्ता):—

अशोक कुमार खरवार पुत्र स्वर्ग सन्नू खरवार निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर का निवासी हूँ हाल मुकाम— मोहल्ला सरायकाजी कादन उर्फ मियांपुर, पोस्ट कचहरी, तहसील सदर, जिला जौनपुर—222002 उ०प्र०

अशोक कुमार खरवार



5. न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम :— अशोक कुमार खरवार पुत्र स्व0 सन्नू खरवार निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर का निवासी हैं हाल मुकाम— मोहल्ला सरायकाजी कादन उर्फ मियांपुर, पोस्ट कचहरी, तहसील सदर, जिला जौनपुर—222002 उ0प्र0

6. मुख्य न्यासधारी (मुख्य ट्रस्टी):—

अशोक कुमार खरवार पुत्र स्व0 सन्नू खरवार निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर का निवासी हैं हाल मुकाम— मोहल्ला सरायकाजी कादन उर्फ मियांपुर, पोस्ट कचहरी, तहसील सदर, जिला जौनपुर—222002 उ0प्र0

7. ट्रस्ट की स्थापना— राशि— 10000/-

8. वर्तमान समय में ट्रस्ट की स्थापना— राशि 10000/- के अतिरिक्त अन्य कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है।

9. ट्रस्ट (न्यास) की विधिक प्रतिबद्धता:—

फॉरएवर फांडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक हैं और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधि मान्य हैं। उपरोक्त ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

10. उपरोक्त ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी बनाये गये—

क्र0 सं0	नाम ट्रस्टी	पिता/पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता
1.	श्री अशोक कुमार खरवार	पुत्र श्री स्व0 सन्नू खरवार	मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष	समाज सेवक	निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर।
2.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	पुत्र स्व0 भृगुनाथ सिंह	प्रबंधक/ सचिव	व्यवसायी / समाज सेवक	ग्राम जमैथा, पोस्ट जमैथा, थाना जफराबाद, तहसील सदर, जिला जौनपुर (उ0प्र0)
3.	श्री शिव बालक बरनवाल	पुत्र रामअवध बरनवाल	उपसचिव	व्यवसायी / समाज सेवक	निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर।
4.	श्रीमती अनीता खरवार	पत्नी अशोक कुमार खरवार	उपाध्यक्ष	समाज सेविका	निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर।
5.	श्री गौरव खरवार	पुत्र अशोक कुमार खरवार	कोषाध्यक्ष	समाज सेवक	निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर।
6.	श्रीमती रीना देवी	पत्नी सावले खरवार	उपकोषाध्यक्ष	समाज सेविका	निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज,

अशोक लुभारख212



आवेदन सं०: 202200981010963

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 165

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्री फॉरएवर फाउन्डेशन चै० ट्र०जरिये अशोक कुमार खरवार ,
 पुत्र श्री स्व० सत्रू खरवार **अशोककुमार**
 व्यवसाय : कृषि
 निवासी: पोस्ट-रानीपुर शाहगंज जौनपुर हा०मु०-सरायकाजी कादन उर्फ़ मियांपुर सदर जौनपुर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/11/2022 एवं 03:31:22 PM बजे
 निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री प्रकाश तिवारी प्रभारी
 उप निबंधक : शाहगंज
 जौनपुर

25/11/2022

राम प्रवेश प्रसाद
 निबंधक लिपिक
 25/11/2022



					जिला जौनपुर।
7.	श्री मनोज कुमार गौतम	पुत्र रामचेत	सदस्य	समाज सेवक	निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर।
8.	श्री ओम प्रकाश यादव	पुत्र बैजनाथ यादव	सदस्य	व्यवसायी /समाज सेवक	निवासी ग्राम मीरापुर, पोस्ट नरौली, तहसील सदर, जिला जौनपुर।
9.	श्री श्रीमती नीलम	पत्नी बंशीराम	सदस्य	समाज सेविका	निवासी ग्राम राजाबाजार, पोस्ट राजाबाजार, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर।
10.	श्री सांवले प्रसाद	पुत्र स्व० सनू खरवार	सदस्य	समाज सेवक	निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर।

11. ट्रस्ट का स्वरूपः—

यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक संगठन है जो जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से उपर उठकर जनहित में “सर्व जन सुखाय, सर्व जन हिताय” का कार्य करेगा।

12. लाभग्राहीः—

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगी और सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगी तथा मानव विकास में सहायक प्राणी व वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

13. हितग्राही व्यक्तिः—


ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

14. ट्रस्ट के उद्देश्यः—

इस ट्रस्ट/न्यास के लक्ष्य/उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।

- अशोक कुमार खरवार पुत्र स्व० सनू खरवार निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर-223104 (उ०प्र०) सामूहिक विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह पद्धति एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, संस्थाओं का निर्माण एवं क्रार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।

अशोक कुमार शर्मा



आवेदन सं०: 202200981010963

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 165

वर्ष: 2022


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: ।

श्री फॉरएवर फाउन्डेशन चै० ट्र०जरिये अशोक कुमार खरवार,
पुत्र श्री स्व० सन्मू खरवार

निवासी: पोस्ट-रानीपुर शाहगंज जौनपुर हाँमू-सरायकाजी
कादन उर्फ मियांपुर सदरमूँजौनपुर

व्यवसाय: कृषि **उम्बाइ कुमारखरपा**



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: ।

श्री अमित कुमार, पुत्र श्री अरुण कुमार

निवासी: निवासी ग्राम लवायन तहसील शाहगंज जिला जौनपुर
आधार सं०-xxxx xxxx 4096

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2



श्री शिशुपाल मौर्य, पुत्र श्री कन्हैया लाल

निवासी: निवासी ग्राम रामापुर माहुल खास जिला आजमगढ़
आधार सं०-xxxx xxxx 1804

व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्री प्रकाश तिवारी प्रभारी
उप निबंधक : शाहगंज

जौनपुर

25/11/2022

राम प्रवेश प्रसाद
निबंधक लिपिक जौनपुर
25/11/2022

2. सदाचार तथा अध्यात्मिक विकास के लिए निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।
3. डॉ बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त शिक्षा को मानव जीवन के कल्याणकारी उपयोग के लिए प्रचार प्रसार करना।
4. महात्मा गांधी/स्वामी विवेकानन्द के द्वारा प्रदर्शित पथ के आधार पर समाज के दशा व दिशा को कल्याणकारी बनाना।
5. पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने हेतु वृक्षारोपण व वृक्षों का संरक्षण करना।
6. विकलांग, मूक—बधिर, नेत्रहीन एवं गरीब बालक—बालिकाओं हेतु निःशुल्क विद्यालय का संचालन तथा आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
7. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन एवं छुआछूत उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।
8. ज्ञान—विज्ञान, वायुयान, जलयान (नेवी) तथा थल पर संचालित सभी यानों/वाहनों के यांत्रिकी, भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।
9. समस्त लघु उद्योगों का निःशुल्क प्रशिक्षण फैकिट्रियों, कालोनियों एवं आवासों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों को नियुक्त कर सुरक्षा पद्धति की नवीन तकनीक की भी जानकारी देना।
10. निर्धन, असहाय तथा मेघावी छात्र—छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा गरीब बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढाई—बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, कम्प्यूटर, टाइप, शार्टहैण्ड, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
11. जनसंख्या नियंत्रण व नशा उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय—समय पर आयोजन करना।
12. बंजर भूमि उसर क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।
13. ग्रामीण गरीब युवक, युवतियों, अल्पसंख्यकों, दलितों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगार देने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षित करना।

उन्नरोक्त कुमा॒र खे॒रा॒



14. ग्रामीण बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु ईट भट्ठा, टाइल्स भट्ठा, सीमेन्ट, ईट, लौह उद्योग, दाल-मिल, चावल-मिल, फर्नीचर उद्योग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट, मछली पालन, कालीन, दरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, उन्नतशील बीज, छपाई उद्योग प्रिंटिंग वर्क, कापी उद्योग, संस्थाओं को प्रकाश व्यवस्था आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
15. क्षेत्रवासियों में राष्ट्रीयता अखण्डता की भावना जागृत करके राष्ट्रीय चेतना की स्थापना करना।
16. राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपैथ, होम्योपैथ के अस्पतालों का निर्माण करना, सुयोग्य चिकित्सकों के सहयोग से गंभीर प्राणलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना एवं एड्स एवं कोरोना के सम्बन्ध में जानकारी पैदा करके रोगों को रोकने के सम्बन्ध में गोष्ठियाँ आयोजित करना व साहित्य वितरण करना।
17. समय-समय पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना व संचालन करना।
18. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
19. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, बच्चों को पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस-बी, के टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं करवाना।
20. उम्र दराज निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. पर्यटन, देशाटन व भ्रमण कराकर बच्चों में ज्ञानवर्धक जानकारी पैदा करना।
22. समाज में फैली कुरीतियों जैसे— तलाक, दहेज प्रथा, आन किलिंग, लिंग परीक्षण आदि जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना एवं ग्रामीण एवं दलितों को सरकार के माध्यम से तकनीकी एवं इलेक्ट्रनिक्स आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण एवं संचालन करना।
23. लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षण, स्वच्छ जल एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य कराना एवं संचालन करना।
24. गरीब बच्चों के लिए एवं विकलांग बच्चों के लिए अनावासीय, आवासीय, विद्यालय का निःशुल्क संचालन करना और असहाय एवं अनाथ महिलाओं के लिए नारी निकेतन का निःशुल्क संचालन करना।

अक्टूबर कुमार खन्ना



25. बालक बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए एल0के0जी0 से 5 वीं कक्षा, जू0हाई0 स्कूल, हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, बी0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0टेक0, एम0टेक0 स्तर तक रोजगार परक औद्योगिकी विद्यालय/कोचिंग की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।
26. असहाय वृद्ध व्यक्तियों के वृद्धा आश्रम एवं सांस्कृतिक केन्द्र खुलवाना।
27. रोजगारपरक तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन, जन शिक्षण संस्थान तथा कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करना।
28. कृषि विविधीकरण आधुनिक कृषि तकनीकी विकास, बीज विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करना।
29. दिल्ली बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0, उ0प्र0 बोर्ड हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम तथा संस्कृत शिक्षा परिषद की नवीन शिक्षा प्रणाली एवं उर्दू शिक्षा के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना। तथा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
30. केमिकल उद्योगों की स्थापना करना एवं प्रशिक्षण हेतु डी0एल0एड0, बी0एड0, बी0टी0सी0, बी0एल0एड0, एन0टी0पी0 एवं लॉ कालेज की स्थापना करना। पत्राचार सर्टिफिकेट/डिप्लोमा संचालित करना।
31. समाज कल्याण विभाग भारत सरकार या प्रदेश सरकार, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नवार्ड, मानव संसाधन मंत्रालय, यूनिसेफ, डवाकरा, सिप्सा, सेफ इण्डिया, राजीव फाउण्डेशन आक्स फेम, इण्डिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा-दूडा (मास्क, सैनेटाईजर, ड्रेस मैंकिंग), विभिन्न महिलाओं को रोजगार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं विकलांग कल्याण निदेशालय, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण नगरीय परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।
32. बाल श्रम उन्मूलन, आक्सफेम, यूनिसेफ, फोरेड ब्रेड फॉर दी वर्ड, शैफ और अन्य राष्ट्रीय व अन्तर राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बंधता प्राप्त कर शैक्षणिक आर्थिक

आशोष कुमार अवार

व मार्शल आर्ट, जूडो, कुम्ह कर्टा जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करना एवं संचालित करना।

33. क्राउडफंडिंग (किसी सामाजिक कार्य हेतु) के माध्यम से आम जनमानस को आत्मनिर्भर कराने को प्रेषित करना।
34. द्रस्ट अपना स्वावलम्बन कार्यक्रम के लिए जनता व्यापारी प्रतिष्ठानों जिला प्रशासन राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन विभिन्न मंत्रालयों व अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से चन्दा, दान, अनुदान प्राप्त करेगा।
35. विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य संस्टाओं की स्थापना करेगा जो इस द्रस्ट के अन्तर्गत कार्य करेगी।
36. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करेगा तथा पत्रिकाओं का न्यूज पेपर (समाचार पत्र) सम्पादित करेगा।
37. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार करने के लिए यह द्रस्ट प्रोत्साहित करेगा तथा माइक्रो फाईनेन्स के माध्यम से पूर्ण मदद करेगा।

15. द्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति:-

यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य द्रस्टी होंगे तथा न्यास के अध्यक्ष भी कहे जायेंगे।

16. प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद:-

द्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद अध्यक्ष/द्रस्टी होंगे। मुख्य द्रस्टी/अध्यक्ष अशोक कुमार खरवार पुत्र स्व० सन्नू खरवार निवासी ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट रानीपुर, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर द्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

17. द्रस्ट की सदस्यता: द्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी:-

1. संस्थापक द्रस्टी— इस द्रस्ट के संस्थापक द्रस्टी अशोक कुमार खरवार पुत्र स्व० सन्नू खरवार है जो किसी भी प्रकार के रिक्त नवीन द्रस्टी को मनोनित करने का अधिकार है जबकि मुख्य द्रस्टी के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार मुख्य द्रस्टी को प्राप्त रहेगा। मुख्य द्रस्टी/अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल में कार्यकारी मुख्य द्रस्टी/उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते हैं। मुख्य द्रस्टी को चल और अचल सम्पत्ति को बेचने का पूर्ण अधिकार होगा।

अशोक कुमार खरवार

2. मुख्यद्रस्टी— अशोक कुमार खरवार पुत्र स्व0 सन्नू खरवार मुख्यद्रस्टी होगें।
3. सहयोगी द्रस्टी— जो व्यक्ति द्रस्ट को पचीस हजार रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह एक वर्ष के लिए सहयोगी द्रस्टी होगा।
4. द्रस्टी की सदस्यता समाप्ति— पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय में कदाचार के अन्तर्गत सजा पाने या त्याग-पत्र देने पर या वार्षिक सदस्यता शुल्क न देने पर द्रस्ट के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर एवं कभी भी बिना किसी सूचना के द्रस्टी द्वारा निष्कासित किये जाने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

18. प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः—

1. प्रबन्धकारिणी समिति द्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. द्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु चल—अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना—रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना आदि।
3. किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के जनकल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।
4. द्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व उपसमितियों का गठन करना व उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापिस लेना।
5. द्रस्ट के व द्रस्ट द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं के पृथक—पृथक खातों को समयानुसार मुख्य द्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक, पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तित करना।
6. द्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद विवाद में पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जाँच पड़ताल के लिए टर्मिनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।

अशोक कुमार राजा

7. वार्षिक आय-व्यय का लेखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
8. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय को मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय देना।
9. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम और उपनियम मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।
10. प्रबन्धकारिणी समिति सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे तथा जो ट्रस्ट के हित में होगा।

19. ट्रस्ट की संयुक्त समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः—

आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी/प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकरण पर तुरन्त निर्णय लेने का अधिकार होगा तत्पश्चात् ट्रस्ट की संयुक्त समिति की बैठक आहूत की जायेगी और उसमें लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी और उन्हें क्रियान्वित करेगी। संयुक्त समिति एवं प्रबंध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का जब तक मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष तब तक वह कार्य रूप में परिणित नहीं होगा।

20. संस्थापक ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्यः—

किसी भी ट्रस्टी की रिक्ति की पूर्ति संस्थापक ट्रस्टियों के ही परिवार के वंशानुगत क्रम में वैध मानी जायेगी।

21. विवादित स्थिति पर निर्णयः—

ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित होने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे ओर वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

22. ट्रस्ट के रिकार्ड या अभिलेखः—

अंशोंकुमार अ११२



एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाउचर फाईल, सदस्यता फाईल, रसीद बही, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

23. अनुशासनात्मक कार्यवाही:-

ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से संतोष नहीं होता तो वह संयुक्त समिति में इस प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकता है। उस परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन मुख्यट्रस्टी के नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और मुख्यट्रस्टी की जिम्मेदारी होगी कि तीन माह के अन्दर संयुक्त समिति की बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करें संयुक्त समिति की अध्यक्षता उसके सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा और संयुक्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय मुख्यट्रस्टी व सचिव की सहमति की दशा में आन्तिम होगा।

24. वाद तथा प्रतिवाद:-

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र जनपद जौनपुर उ0प्र0 रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे, व्यक्तिगत् नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वादों प्रतिवादों की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

25. परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता:-

ठारोक खुमार अंगू

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त, शहर, ज़िले, तहसील ब्लाक व ग्रामों में चलायी जायेगी।

26. ट्रस्ट कोष का रख रखावः—

ट्रस्ट के खाते का संचालन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर, अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। भविष्य में परिस्थिति अनुसार आवश्यकता होने पर मुख्य ट्रस्टी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह खाते का संचालन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य पदाधिकारी से कराने का निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है।

27. पदों का सृजनः—

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद पर स्थापित कर सकता है। सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

28. ट्रस्ट न्यास की सम्पत्तियोंः—

ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति का अधिकार मुख्यट्रस्टी का होगा तथा मरणोपरान्त समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के मालिक सभी प्रमुख संस्थापक ट्रस्टी होंगे अथवा उनके वंशानुगत क्रम के वंशज होंगे। जिसका संचालन सहमति से किया जायेगा।

अशोक कुमार रमेश

फॉरएवर फांडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हेतु पॅच हजार पॅच सौ रुपया नगद जिसे खाता खोलकर ट्रस्ट खाते में जमा किया जायेगा।

अतः यह ट्रस्टनामा विलेख आज दिनांक—25.11.2022 को मेरे द्वारा अभिकथित लिखित एवं उद्घोषित किया जा रहा है। वर्तमान में इस ट्रस्ट के नाम कोई अन्य चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।


हस्ताक्षर न्यासकर्ता
अशोक कुमार खरवार

पुत्र स्व० सन्० खरवार
निवासी ग्राम—मुबारकपुर
पोस्ट—रानीपुर, तहसील—शाहगंज
जिला—जौनपुर।

हाल मुकाम—मोहल्ला सरायकाजी कादन उर्फ मियांपुर
पोस्ट—कचहरी, तहसील—सदर
जिला—जौनपुर—222002।

गवाह-1- *Amit Kumar*

अमित कुमार पुत्र श्री अरुण कुमार
निवासी ग्राम—लवायन, पोस्ट—भागमपुर
तहसील—शाहगंज, जिला—जौनपुर।
आधार नं०—2486 6940 4096
मो०नं०—9648709553



गवाह-2-

Shishupal Morya

शिशुपाल मौर्या पुत्र कन्हैयालाल
निवासी ग्राम व पोस्ट—रामापुर,
तहसील—फूलपुर, जिला—आजमगढ़
आधार नं०—2168 8352 1804
मो०नं०—9598666861




दिनांक—25.11.2022

मसविदाकर्ता—सुबाष चन्द यादव (एडवोकेट) तहसील—शाहगंज, जिला—जौनपुर।
रजिझ संख्या—यूपी०—18204 / 1999

(सुबाष चन्द यादव के हस्ताक्षर)

टाईपकर्ता—अतुल कुमार राजभर तहसील गेट सामने शाहगंज, जौनपुर।

(अतुल कुमार के हस्ताक्षर)



दंन सं०: 202200981010963

संख्या ५ जिल्द संख्या 48 के पृष्ठ 335 से 362 तक क्रमांक 165 पर
२५/११/२०२२ को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


श्री प्रकाश तिवारी प्रभारी
उप निबंधक : शाहगंज
जौनपुर
25/11/2022

